भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 492

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

टीपीए का पैनलबद्धीकरण

492. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिव राव मांडलिकः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कोयला लदान-स्थलों पर कोयले के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन के लिए तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसियों (टीपीए) को पैनलबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का पैनल बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने टीपीए को पैनलबद्ध करने के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) टीपीए को पैनलबद्ध करने से कोयले की गुणवत्ता निर्धारित करने मे किस प्रकार पारदर्शिता आएगी और क्या अंततः कोल इंडिया लिमिटेड के उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे;

(ङ) क्या सरकार ने टीपीए के अंतर्गत पैनलबद्ध एजेंसियों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो उक्त एजेंसियों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) कोयला कंपनियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने देश में विभिन्न कोयला लदान स्थलों पर कोयले के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन के लिए तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसियों (टीपीए) को पैनल में

शामिल किया है। कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे पर सरकार द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा 26.11.2015 को लदान छोर में कोयले के तृतीय पक्ष नमूने और विश्लेषण के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी। तदुपरांत, सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में और तृतीय-पक्ष नमूनाकरण के आधार का विस्तार करने की दृष्टि से, कोयले के गुणवत्ता नमूने के लिए और अधिक तृतीय-पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों (टीपीएसए) को लगाया जा रहा है।

(ग) : कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा संग्रह, तैयारी, विश्लेषण और प्रलेखन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु योग्यता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) 29.09.2023 को जारी किया गया है। टीपीएसए को सूचीबद्ध करने के लिए आरएफक्यू जमा करने की तारीख 30.11.2023 तक बढ़ा दी गई थी क्योंकि बोली-पूर्व बैठक के दौरान कुछ एजेंसियों ने काम के दायरे और पात्रता मानदंड के संबंध में प्रश्न उठाए थे।

(घ) : भारतीय कोयले की अंतर्निहित विषम विशेषताओं के कारण और कोयला सीमों में वास्तविक खनन प्रक्रिया में कोयले की विनिंग के दौरान, भेजे गए कोयले का ग्रेड (जीसीवी) घोषित ग्रेड की तुलना में कुछ हद तक खेप से खेप में भिन्न हो सकता है, जिसे बाद में अंतिम रूप से स्वीकृत जीसीवी (तीसरे पक्ष की नमूना एजेंसियों/ रेफरी प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण, जैसा कि लागू हो) के साथ संबंधित उपभोक्ता द्वारा चुने गए विक्रेता और खरीदार और टीपीएसए के बीच हस्ताक्षरित ईंधन आपूर्ति समझौतों और त्रिपक्षीय समझौतों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाता है।

तृतीय पक्ष नमूना प्रक्रिया में प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)/अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अनुसार कोयला उत्पादकों के लदान छोर पर नमूने एकत्र करना शामिल है।

तदुपरांत, तैयार नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा भारत में अन्य कोयला परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) 17025 के लिए अन्य समकक्ष प्रत्यायन एजेंसी (जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) और/या एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) की पूर्ण सदस्य है) द्वारा मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नमूनाकरण और परीक्षण की उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(ङ.) : इससे पूर्व, सीआईएल ने लदान छोर पर कोयले के नमूने के लिए दो टीपीएसए अर्थात मैसर्स कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्ध किया था। वर्तमान में मैसर्स एसजीएस नमूना गतिविधि कर रहा है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के अधीन विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसीएल) ने भी कोयला कंपनियों में अलग-अलग कोयला लदान बिंदुओं पर कोयले के नमूनों के संग्रहण, तैयारी, विश्लेषण के लिए टीपीएसए के पैनल में शामिल करने के लिए दो दौर आयोजित किए हैं। पहले दौर में, पीएफसीएल ने मेसर्स मित्रा एसके प्राइवेट लिमिटेड को टीपीएसए के रूप में सूचीबद्ध किया था। दूसरे दौर में, निम्नलिखित 10 टीपीएसए को सूचीबद्ध किया गया है:-

(i) इंस्पेक्टरेट ग्रिफिथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; (ii) गुणवत्ता सेवा एवं समाधान प्राइवेट लिमिटेड; (iii) गुणवत्ता आस्ट्रिया मध्य एशिया प्राइवेट लिमिटेड; (iv) कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; (v) केसीएस क्वालिटी इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड; (vi) रवि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; (vii) मित्रा, एस. के. प्राइवेट लिमिटेड; (viii) सुपरिटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; (ix) थेराप्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कारपोरेशन और; (x) डा. अमीन कंट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड

उपर्युक्त के अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी एजेंसियां विद्युत मंत्रालय/ कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा नामांकन के आधार पर तृतीय-पक्ष नमूना करण कार्य कर रही हैं, वे भी पीएफसीएल दूसरे दौर की निविदा में उल्लिखित और विक्रेता तथा उपभोक्ता के बीच आपसी सहमति के रूप में बाजार खोजे गए मूल्य पर जारी रह सकती हैं।

(च) : सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

i. ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए खान से प्रेषण बिंदु तक कोयले के गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। आपूर्ति के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए सभी उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष के नमूने के तहत कवर किया गया है।
ii. ब्लास्ट फ्री माइनिंग तकनीकों को अपनाना: ओपनकास्ट खानों में सतह खनिकों के माध्यम से कोयले के निष्कर्षण को बढ़ाने के लिए विस्फोट मुक्त चयनात्मक खनन की आवश्यकता होती है जिससे बेहतर गुणवत्ता और सुसंगत आकार का कोयला उत्पादन होता है।
iii. गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की एजेंसियों के लिए नियुक्ति।
iv. नमूना प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप से बचने के लिए जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, अधिक ऑटो मैकेनिकल सैंपलर्स (एएमएस) की स्थापना।
v. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में खानों से लोडिंग पॉइंट तक यांत्रिक कोयला हैंडलिंग को अपनाना।
vi. बेल्टों पर शेल, स्टोन जैसी बाहरी सामग्रियों के पृथक्करण की आवश्यक व्यवस्था की गई है।
vii. विद्युत क्षेत्रों को जहां भी संभव हो, क्रश किए गए 100 मि.मी. से कम आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल क्रशर/फीडर ब्रेकर की स्थापना।

****